(क) क्या गुजरात सरकार ने राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण (जी.यू.जे.सी.ओ.सी.) विधेयक, 2003 को पुन: प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार को यह विधेयक कब प्राप्त हुआ था;

(ग) उक्त विधेयक के मुख्य उपबंध कौन-कौन से हैं;

(घ) क्या सरकार ने अन्य राज्यों के इसी प्रकार के विधेयक अनुमोदित किए हैं;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार जी. यू. जे. सी. ओ. सी. विधेयक, 2003 को कब अनुमोदित करने का विचार रखती है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)**

**(क) से (ग) : जी, हां। गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003 जिसे राज्य विधान मंडल द्वारा पास कर दिया गया था और गुजरात के राज्यपाल द्वारा उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया था गुजरात राज्य सरकार द्वारा पुन: प्रस्तुत किया गया था, जो गृह मंत्रालय में दिनांक 11.11.2009 को प्राप्त हुआ था।**

 **प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य ठेके पर हत्या, धन ऐंठना, निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी, नारकोटिकों का अवैध व्यापार, अपहरण, मनी लांड्रिंग आदि द्वारा अवैध धन अर्जित करके फल -फूल रहे संगठित अपराध को नियंत्रत करना है।**

**विधेयक के मुख्य उपबंध निम्नवत हैं :-**

**(i) संगठित अपराध करने वालों, दुष्प्रेरकों और इसके आश्रयदाताओं को कठोर दंड;**

**(ii) अपराधों का विचारण विशेष अदालतों द्वारा किया जाना;**

**(iii) कम से कम पुलिस अधीक्षक के रैंक के पुलिस अधिकारी के सामने की गई अपराध स्वीकारोक्ति को विचारण में अनुमत किया जाना;**

**(iv) गवाहों की पहचान सुरक्षित रखने का उपबंध;**

**(v) संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित संपत्ति की कुर्की और जब्ती;**

**(vi) संपत्ति की कुर्की करने के आदेश देने के लिए पुलिस अधिकारियों को शक्तियां;**

**(vii) प्रतिकूल सिद्ध न होने तक कतिपय परिस्थितियों में किसी कृत्य को अपराध मान लेना।**

**(घ) और (ड.) : सरकार की तत्कालीन नीति के अनुसार संगठित अपराध नियंत्रण के निम्नलिखित राज्य विधायनों को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की है :-**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 1999 जिस पर राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 23.04.1999 को सहमति प्रदान की गई।** |
| **2.** | **आन्ध्र प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2001 (3 वर्ष के लिए वैध) जिस पर राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 16.10.2001 को सहमति प्रदान की गई।** |
| **3.** | **कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2000 जिस पर राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 22.12.2001 को सहमति प्रदान की गई।** |

**(च) : राष्ट्रपति ने गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003 पर अपनी सहमति रोक ली थी, क्योंकि राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के संदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार उक्त विधेयक के खंड 16 और 20 में कोई संशोधन नहीं किए थे। इसकी सूचना गुजरात के राज्यपाल के सचिव को दिनांक 3.2.12 को दे दी गई है।**